

चार दशक तक सेवा लेने के बाद नियुक्ति को बताया अवैध

पारित आदेश के परिपालन के संबंध में रिपोर्ट दें : हाईकोर्ट

जबलपुर, 13 नवंबर. चार दशक तक सेवा लेने के बावजूद भी पूर्व में पारित आदेश का पालन करते हुए नियुक्तिकरण किये जाने का बजाय, नियुक्ति को अवैध ठहराया जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी.

हाईकोर्ट जस्टिस एम एस भट्टी की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा है कि पूर्व में दिये गये आदेश पर मुख्य सचिव के द्वारा की कार्यवाही का ब्यौरा पेश किया जाये. उप संचालक कार्यालय उद्यान जिला जबलपुर में कार्यरत राकेश कुमार चौरसिया की तरफ से दायर याचिका में कहा गया

था कि पूर्व में उनकी तरफ से दायर की सुनवाई करते हुए राज्य शासन को नियुक्तिकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेश जारी किये थे. आदेश के कथित परिपालन में राज्य शासन के द्वारा निर्णय में कहा गया है कि 38 वर्ष पूर्व जो नियुक्ति की गई थी वह अवैध है, क्योंकि तत्समय में स्वीकृत पद नहीं थे.

याचिकाकर्ता की तरफ तर्क दिया गया कि चार दशक तक सेवा लेने के दौरान उसकी नियुक्ति को अवैध नहीं ठहराया गया था। हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश है कि ऐसे कर्मचारी जो कि 10 वर्ष से अधिक सेवावात है और उनकी नियुक्ति अवैध या अनियमित हो से ऐसे प्रकरणों में नियुक्तिकरण हेतु स्थाई समिति गठित की जानी चाहिये.

मतदाता सूची के पुनरीक्षण का निरीक्षण करने पहुंची कलेक्टर

रीवा, 13 नवम्बर. जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य जारी है. कार्य के आकस्मिक निरीक्षण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने प्राप्त पंचायत चोरगड़ी में मतदाता सत्यापन कार्य का निरीक्षण किया. उन्होंने गणना पत्रकों के वितरण की जानकारी लेते हुए निर्देश दिये कि मतदाता द्वारा गणना पत्रक प्राप्त करें. कलेक्टर ने एसआईआर कार्य में संलग्न बीएलओ से गणना पत्रकों के वितरण तथा उनको वापस प्राप्त कर अपलोड करने की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली.

शादी का सपना दिखाकर ट्रांसजेंडर से दुष्कर्म

इंदौर, 13 नवंबर. प्यार और भरोसे के नाम पर ठगी का शिकार बने एक ट्रांसजेंडर ने अपने परिचित युवक पर दुष्कर्म और आर्थिक शोषण का आरोप लगाया है. पीड़ित का कहना है कि युवक ने शादी का झांसा देकर न केवल जबरन संबंध बनाए, बल्कि इलाज और जेंडर बदलवाने के नाम पर करीब 25 लाख रुपए भी हड़प लिए. विजयनगर पुलिस ने आरोपी युवराज राजपूत उर्फ ब्रजा के खिलाफ दुष्कर्म, अप्राकृतिक कृत्य और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है. विजय नगर थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल ने बताया कि 23

जेंडर बदलवाने की बात कहकर ठगे लाखों

इसके बाद युवराज ने शादी का वादा करते हुए कहा कि रिश्ते के लिए उसे लड़की बनाया होगा. उसने एक डॉक्टर से इलाज शुरू कराया और इलाज व ऑपरेशन के नाम पर लगातार पैसे मांगता रहा. पीड़ित के मुताबिक आरोपी अब तक करीब 25 लाख रुपए ले चुका है और इन्हीं पैसे से एक कार भी खरीद चुका है.

वर्षीय ट्रांसजेंडर मांडलिंग और फैशन डिजाइनिंग से जुड़ा है. कुछ समय पहले देवास के एक पारिवारिक कार्यक्रम में उसकी पहचान युवराज से हुई थी. परिचय के बाद दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू हुई. शिकायत में पीड़ित ने बताया कि 9 मई को युवराज इंदौर आया और शॉपिंग पर चलने का बहाना बनाकर उसके

घर पहुंचा. कुछ देर बातचीत के बाद उसने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए. पीड़ित ने यह भी बताया कि युवराज ने नशा कराकर अपने दोस्तों से संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. विरोध करने पर उसने बेल्ट और लात-घूंसे से मारपीट की. मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर आरोपी की तलाश की जा रही है.

बसपा का भिंड कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

एडीएम को ज्ञापन देकर वापस लिया, कलेक्टर को साँपा

भिंड, 13 नवंबर. बहुजन समाज पार्टी ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पर करीब तीन घंटे तक जोरदार प्रदर्शन किया. कार्यकर्ता कलेक्टर से मुलाकात की मांग को लेकर गेट पर डटे रहे और कलेक्टर मुर्दाबाद के नारे लगाए.

एडीएम को ज्ञापन साँपने के बाद कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन वापस भी ले लिया और कलेक्टर की मौजूदगी पर अड गए. बीएसपी की प्रमुख मांगें भिंड जिले में कमजोर वगैरों पर अत्याचार रोकने, पीड़ितों को न्याय दिलाने और किसानों की समस्याओं के



समाधान को लेकर थीं. गुरुवार दोपहर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूर्व विधायक संजु सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे. प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने आए थे. एडीएम लक्ष्मीकांत पांडे ने ज्ञापन प्राप्त किया और समस्याएं सुनीं, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ज्ञापन केवल कलेक्टर को ही दिया जाएगा, एडीएम को नहीं. स्थिति बिगड़ते देख एडीएम ने कलेक्टर कोड़ोलाल मीणा से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त थे.

होटल, लॉज और हॉस्टल पर पुलिस की आकस्मिक चेकिंग

11 मकान, व्यवसाय और होटल संचालकों पर कार्रवाई

इंदौर, 13 नवंबर. शहर में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त निदेश पर इंदौर पुलिस कमिश्नरेंट की टीमों ने देर शाम होटल, धर्मशाला, लॉज, हॉस्टल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया.

इस दौरान कई स्थानों पर किरायेदारों, कामगारों और ठहरने वालों की जानकारी थाने में दर्ज करने की ताम्रवाही सामने आई. जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 11 मकान, व्यवसाय और



होटल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई. तेजाजी नगर पुलिस ने मकान मालिक मोहम्मद रईस खान पर, गांधी नगर में समीम भी पर, कनाडिया ने निर्भय सिंह टटिया पर, पलासिया ने सुभाष बौरासी पर, बाणगंगा ने मिथलेश शुक्ला पर और चंदन नगर पुलिस ने अनिस हुसैन पर कार्रवाई की. सेंट्रल कोतवाली ने जयप्रकाश गुप्ता और कनाडिया थाने ने विक्रम सिंह के खिलाफ कार्रवाई की.

नशे के अवैध कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई

सीधो. प्रहार 2.0 विशेष अभियान के तहत सीधो पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है. इसी क्रम में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई कार्यवाहियों के दौरान पुलिस टीमों द्वारा कुल 43,000 मूल्य के अवैध मादक पदार्थ एवं शराब बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश पाण्डेय के नेतृत्व में आरोपी जिलाजीत मुसलमान पिता स्व. दीन मोहम्मद, निवासी ग्राम खुटेली थाना बहरी के कब्जे से 15,000 मूल्य के लगभग 3 किलो 800 ग्राम हरे पौधे (गांजा का खेती) जप्त किए गए. आरोपी के विरुद्ध धारा 20(ए) एनडीपीए से एफ्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की.

औद्योगिक क्लस्टर व निवेश प्रस्तावों पर अहम सहमति

निवेशकों से मुख्यमंत्री की वन टू वन मुलाकात



निवेश का गंतव्य नहीं, बल्कि भारत का उभरता टेक और डिफेंस हब बनकर सामने आया. अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के संस्थापक डॉ. सुब्बाराव पवुलुरी से मुख्यमंत्री ने डिफेंस क्लस्टर

और अवसरचना विकास पर चर्चा की. वहीं, एमरॉलड इन्फ्राइस्ट्रेट लिमिटेड के निदेशक अनिल भंसाली ने भोपाल के बिंदोरी क्षेत्र में पीसीबी मैनुफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना का प्रस्ताव दिया.

थॉमसन सेमीकंडक्टर प्रालि के सीईओ डॉ. श्रीनिवास अनंत ने बताया कि कंपनी प्रदेश में पैकेजिंग-टेस्टिंग यूनिट, डीवीएस और ट्रक निर्माण इकाई में निवेश करना चाहती है.

भोपाल में बनेगी 'नॉलेज सिटी',

इंदौर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आयोजित एक प्रेस कॉन्फेंस में कहा कि प्रदेश की राजधानी भोपाल में जल्द ही 'नॉलेज सिटी' विकसित की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस सिटी में देश-विदेश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान, टेक्नोलॉजी सेंटर और रिसर्च हब स्थापित किए जाएंगे, ताकि मध्यप्रदेश शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट राज्य सरकार की एमपी एजुकेशन एंड इनोवेशन विजन 2040 का हिस्सा है, जिसके तहत भोपाल को ज्ञान और तकनीक का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा. इसमें आधुनिक कैम्पस, डिजिटल वलासरूम, इनव्यूबेशन हब, स्टार्टअप जोन और उद्योग-शिक्षा सहयोग के लिए साइबो प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि प्रदेश के विद्यार्थी अब विदेश नहीं, बल्कि अपने ही राज्य में विश्वस्तरीय शिक्षा प्राप्त करें. मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि नॉलेज सिटी से युवाओं को रोजगार, शोध और नवाचार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे मध्यप्रदेश की छवि शिक्षा एवं तकनीक के हब के रूप में स्थापित होगी.

सरकार ने सुको के निर्देशों के विपरीत नियम बनाए

प्रमोशन में आरक्षण मामले में आवेदकों का दावा

जबलपुर, 13 नवंबर. मप्र हाईकोर्ट में गुरुवार को प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बने नियम की वैधानिकता को चुनौती देने वाले मामले में सुनवाई हुई.

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला निर्देशों के विपरीत नियम बनाए हैं, इसलिए वे चुनौती योग्य हैं. आवेदकों की ओर से चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के एम नागराज और



जरनैल सिंह के मामलों में जो निर्देश दिए हैं उनका पालन नहीं किया गया है. सरकार ने आरक्षण लागू करने से पहले यह नहीं देखा कि कौन से वर्ग अभी वाकई पिछड़े हैं और उनका वर्तमान में कितना प्रतिनिधित्व है. न्यायालय ने मामले को अगली सुनवाई 20 नवंबर को निर्धारित की है. वहीं मामले में अजाक्स संघ सहित आरक्षित वर्ग की ओर से अनेक अधिकारियों व कर्मचारियों ने इस मामले में हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल की हैं.

याचिका दायर

भोपाल निवासी डॉ. स्वाति तिवारी व अन्य की तरफ से दायर याचिका में मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को चुनौती दी गई है. आवेदकों का कहना है कि वर्ष 2002 के नियमों को हाईकोर्ट के द्वारा आरबी राय के केस में समाप्त किया जा चुका है. इसके विरुद्ध मप्र शासन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी लिबित है, इसके बावजूद मप्र शासन ने महज नाम मात्र का शाब्दिक परिवर्तन कर जस के तस नियम बना दिए.

नकली 'टाटा नमक' से भरा ट्रक पकड़ा

इंदौर. भंवर्कुआं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली ब्रांडेड नमक को खेप जब्त की है. पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो नामी कंपनी टाटा नमक की हूबहू पैकिंग वाले नकली नमक बेचकर अवैध मुनाफा कमा रहे थे. थाना प्रभारी राजकुमार यादव ने बताया कि बुधवार दोपहर जांच के दौरान बारदान मंडी, पालदा क्षेत्र में एक आईशर ट्रक को रोका, ट्रक चालक 29 वर्षीय सलमान खान निवासी सिरपुर नगर ने बताया कि ट्रक में 40 वर्षीय रतनलाल जगोड निवासी जाणकी का का माल लदा है. पूछताछ में रतनलाल ने स्वीकार किया कि वाहन में नमक के 150 कट्टे रखे हैं.

एक नजर में

बिना परमिट ओवरलोड पांच गाड़ियां पकड़ी

शक्तिनगर 13 नवम्बर। स्थानीय थाना क्षेत्र में देर रात शक्तिनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना परमिट और ओवरलोड बालू से भरी पांच गाड़ियों को पकड़ लिया. बताया गया कि यह सभी वाहन म.प्र. के पड़ोसी जिले से रेता लोड कर सोनभद्र की ओर आ रहे थे. थाना प्रभारी निरीक्षक रामरेश राम ने बताया कि रात के दौरान पुलिस टीम ने तेज रफ्तार से भाग रही ओवरलोड गाड़ियों को देखकर पीछा किया, जिसके बाद कुछ वाहन अलग-अलग दिशाओं में भागने लगे. काफी मशकत के बाद पुलिस ने पांच गाड़ियां वाहन पकड़ ली. पूछताछ के दौरान चालकों के पास से किसी प्रकार का वैध परमिट या परिवहन दस्तावेज नहीं मिला. मौके पर गाड़ियां वाहन ओवरलोड रेत से लदी पाई गई. पुलिस ने पकड़ी गई गाड़ियां वाहन क्रमांक एमपी 66 जेडएच 3338, एमपी 66 एच 1416, यूपी 64 एटी 2366, यूपी 67 एटी 2749 और यूपी 78 सीएन 6757 बताए हैं. इनमें से चार गाड़ियां एक ही मालिक की बताई जा रही है, जबकि एक अन्य की है. थाने लाकर चालकों से पूछताछ के बाद पुलिस ने सभी गाड़ियां वाहन को अपने कब्जे में लेकर खनन विभाग और परिवहन विभाग को सुचित कर दिया है. वहीं दूसरी ओर कार्रवाई की जानकारी मिलते ही रेता माफियाओं और वाहन मालिकों में खलबली मच गई. बताया गया कि देर रात थाने के आसपास फोर्दयूनर समेत कई लजरी वाहन आकर खड़ी हो गई और विभिन्न माध्यमों से पैरवी करने की कोशिशें शुरू हो गईं. मामले में थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि गैरकानूनी परिवहन पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा, जबकि खनन विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने इस घटना से अनभिज्ञता जताई है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

ग्वालियर में विरोध-प्रदर्शन पर सख्त नजर

ग्वालियर, 13 नवंबर. जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपरीत प्रभाव डालने वाले सभी प्रकार के कृत्य अब प्रतिबंधित रहेंगे। जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत नया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसका उल्लंघन बीएनएस की धारा 223 के तहत दंडनीय माना जाएगा. नया आदेश, 10 अक्टूबर 2025 को जारी पूर्व प्रतिबंधात्मक आदेश को यथावत रखते हुए जारी किया गया है. इसमें यह जोड़ा गया है कि कोई भी व्यक्ति या समूह ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे जिले की कानून व्यवस्था, लोक शांति या सामाजिक सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की युगल पीठ द्वारा याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में, जिला दण्डाधिकारी ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विशेषकर ग्वालियर की स्थानीय मीडिया को निर्देश जारी किए हैं कि 16 नवंबर 2025 के आह्वान एवं उससे संबंधित विषयों पर अगली सुनवाई तक कोई समाचार प्रकाशित या प्रसारित न किया जाए. जिला दण्डाधिकारी चौहान ने आदेश में उल्लेख किया है कि जिले में हाल के दिनों में बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन और रैली निकालने के प्रयास किए गए हैं. साथ ही, भविष्य में भी ऐसे आह्वानों की जानकारी प्राप्त हो रही है, जो लोक शांति और कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं. इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, नया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है.

सीधा संवाद

अभावविप ने किया मालवा प्रांत स्तरीय जनजातिय छत्र पंचायत का आयोजन

जनजातिय समाज की परंपरा संपूर्ण देश के लिए मिसाल

झाबुआ, 13 नवंबर. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय पर मालवा प्रांत स्तरीय जनजातिय छत्र पंचायत का आयोजन स्थानीय गैल तिराहे के समीप श्री जेल बगीचा हनुमान मंदिर परिसर में रखा गया.



आयोजन में मुख्य आकर्षण मालवा प्रांत के 18 जिलों से आए करीब 120 चयनित छात्र-छात्राओं को खाट पर बिठाने के साथ समाज के सत्कार, विकास और प्रगति पर खुलकर बातचीत की. जनजातिय समाज के विकास में युवाओं की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया.

प्रदर्शनों भी लगाई गईं वहीं भगवान बिरसा मुंडाजी का सेल्फी पाईंट भी बनाया गया. जानकारी देते हुए अभावविप के मालवा प्रांत अध्यक्ष दर्शन वसुनिया एवं प्रांत मंत्री मदन कहार ने बताया कि संगठन द्वारा जनजातिय छत्र पंचायत का भव्य स्तर पर आयोजन किया गया. जिसमें मालवा प्रांत के जनजातिय समाज के अपेक्षित विद्यार्थी एवं चयनित प्रतिनिधि मालवा प्रांत के अलग-अलग जिलों से 12 नवंबर, बुधवार रात झाबुआ पहुंचे. सभी छात्र-छात्राओं के ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था शगुन गार्डन में परिषद् द्वारा की गई.

उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ता लोकसभा सांसद गजेन्द्रसिंह पटेल ने बताया कि जनजातिय समाज प्राचीनकाल से सनातनी होकर समाज की संस्कृति और परंपराओं सभी को प्रेरणा देने वाली है और पूरे देश के लिए मिसाल है. श्री पटेल ने बताया कि उनकी राजनीतिक शुरुआत भी अभावविप से शुरू हुई और वे आज लोकसभा सांसद जैसे महत्वपूर्ण पद पर काबिज हैं. आपने बताया कि जनजातिय समाज के छात्रों को समाज की संस्कृति और परंपराओं को नजदीक से समझकर उस पर गहन मनन-चिंतन करने की आवश्यकता है. जनजातिय समाज के विकास और प्रगति में युवाओं का योगदान महत्वपूर्ण है. उद्घाटन सत्र बाद प्रथम सत्र दोपहर 11.15 से 12.30 बजे तक चला. जिसमें वक्ता के रूप में शिवगंगा के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजाराम कटारा उपस्थित रहे. अपने उद्बोधन में शिवगंगा के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजाराम कटारा ने जनजाति समाज के इतिहास और महत्वपूर्ण के जीवन पर प्रकाश डाला. साथ ही बताया कि जनजातिय समाज के युवाओं को जागरूक होकर धर्मांतरण को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्देहन करना होगा. साथ ही समाज के सभी त्योहार पूरे रिती-रिवाज के साथ मिलकर मनाने की आवश्यकता है.

